न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट श्रावस्ती।

एफ0आर0 संख्या 32/2019
रत्तीराम –प्रति– रामयश यादव आदि
धारा – एफ0आर0
थाना– गिलौला जनपद श्रावस्ती।
अपराध संख्या 162/2018

04–08–2021

पत्रावली पेश हुई। आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय उपस्थित है। आवेदक को विद्वान अधिवक्ता को प्रोटेस्ट याचिका बी 11 मय शपथ पत्र बी 12 पर सुना।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

इस मामले के विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या के विरूद्ध वादी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट याचिका प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि विवेचक ने मात्र अभियुक्तगण को बचाने के उददेश्य से बयान में झूठे तथ्यों के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपना स्वयं का बयान एव साक्षियों का बयान देना चाहता है। अतः प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी एवं साक्षियों का बयान लेकर अभियुक्तगण को तलब कर के दण्डित करने की कृपा करे।

निर्णय विधि पाखण्डू एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं एक अन्य 2001 (43) ए0सी0सी0 1096 के वाद में माननीय न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया था कि मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् उसके समक्ष चार कार्य प्रणालियों के रास्ते खुले होते हैं, जिनमें से वो किसी एक को वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार चुन सकता है।

1. वह पुलिस द्वारा प्राप्त निष्कर्षो से सहमत होते हुए रिपोर्ट को स्वीकार करके कार्यवाहियों को समाप्त कर सकता है, परन्तु ऐसा किये जाने से पूर्व वह परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, अथवा

2. वह धारा 190 (1) (b) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत संज्ञान लेकर अन्वेषण प्राधिकरण के निष्कर्षो से अबाध्य होकर सीधे अभियुक्त को प्रक्रिया निर्गत कर सकता है। जहॉ वह इस सम्बन्ध में संतुष्ट है कि पुलिस द्वारा अन्वेषित अथवा खोजे गये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार हैं, अथवा

3. वह अग्रिम अन्वेषण हेतु आदेशित कर सकता है, यदि वह यह संतुष्टि प्राप्त करता है कि अन्वेषण असावधानी पूर्वक किया गया था, अथवा

4. वह बिना प्रक्रिया निर्गत किये अथवा कार्यवाहियों का समाप्त किये मूल परिवाद अथवा प्रतिवाद याचिका को परिवार व्यवहारित करते हुए उसपर धारा 190 (1) (a) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत संज्ञान ले सकता है, वह दं0प्र0सं0 की धाराओं 200 एवं 202 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है, तथा उसके पश्चात् विनिश्चित कर सकता है कि क्या परिवाद को निरस्त किया जाये अथवा प्रक्रिया निर्गत की जाये।

चूंकि प्रोटेस्ट याचिका में प्रार्थी ने स्वयं कथन किया है ववेचक ने मात्र अभियुक्तगण को बचाने के उददेश्य से बयान में झूठे तथ्यों के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपना स्वयं का बयान एव साक्षियों का बयान देना चाहता है। केस डायरी में इस स्तर का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण को सीधे विचारण हेतु आहूत किया जाये। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम आख्या निरस्त कर प्राटेस्ट याचिका परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना विधि सम्मत होगा।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 162/2018 में प्रस्तुत अन्तिम आख्या संख्या बी 3/19 दिनांकित 16–01–19 निरस्त किया जाता है। प्राटेस्ट याचिका बी–11 परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी दिनांक 07–09–2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, श्रावस्ती।